

प्ररूप

आ.क.वि-5

भारतीय आयकर विवरणी

(i) व्यक्ति (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति]  
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)  
(कृपया अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ष

2 0 2 2 - 2 3

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी

(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्यांक	
(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,	
(क7)फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)	
		(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)	
(क9)सड़क/गली/आकधर	(क10) क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यथा उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),	
(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य	(क13)पिनकोड/ ज़िप कोड	
	(क14)देश		
(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1		(क16)मोबाइल सं० 2	
(क17)ई-मेल पता-1		(क18)ई-मेल पता-2	
(क19)का)	धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।	
	(कii) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148	
	(कiii) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	(कiv) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ख)	यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-1)	/ /	
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148 के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /
(घ)	क्या आपने धारा 115खकघ के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है तथा नि.व. 2021-22 में प्रपत्र 10झड दाखिल किया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि नहीं, निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अब चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> नहीं चुन रहे हैं		

फाइल करने की प्रास्थिति

(घ)	यदि हां अथवा “चुन रहे हैं”, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व	पावती क्रमांक:											
(ङ.)	निवास संबंधी प्रस्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी													
(च)	क्या निर्धारिती की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें													
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें													
(ट)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी.) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ठ)	यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
(ड)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।													
(ढ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--													
	(1) प्रतिनिधि का नाम													
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन उल्लिखित करें)													
	(3) प्रतिनिधि का पता													
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या													
(ण)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	फर्म का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक												
(त)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक											
	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित अंश				वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष						
	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत			
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां ₹. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक													
क2ii	क2: पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क 2iii	क2: पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)													
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं। आकार द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं,													
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /												
	(ii)	कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम												
	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या												
	(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)												

	(v)	संपत्तिक/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या							
	(vi)	संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)/ आधार संख्या							
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख							
(घ)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
(घii)	यदि घड्ड हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व	
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)								
	क्रम संख्यांक.		सेक्शन कोड				तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?								
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)		अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)		
अ.	क्या पूर्ववर्त के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के ब्यौरे दें) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधित करें।								
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम		प्रवेश/निवृत्ति	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख		अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)		
	1.								
	2.								
आ	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
ई.	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय/एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभाय नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2022 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/न्यासी/फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था								
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूजी पर ब्याज की दर	संबल/संवेद्य पारिश्रमिक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है								
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):							
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	

भागीदार/ सदस्य/ न्यास की सूचना

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए

		(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कचक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
	क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
	(i)			
	(ii)			

भाग क- बीएस 31 मार्च, 2022 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत			
	1	भागीदार/सदस्यता निधि			
		क	भागीदार/सदस्यता पूंजी		क
		ख	आरक्षितियां और अधिशेष-न		
			i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खि
			ii	पूंजी आरक्षिति	खii
			iii	कानूनी आरक्षिति	खiii
			iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv
			v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv
			vi	योग (खि+खii+खiii+खiv+खv)	खvi
		ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)		1ग
	2	ऋण निधि			
		क	प्रतिभूत ऋण		
			i	विदेशी करेंसी में ऋण	काि
			ii	रुपए में ऋण	
			अ बैंकों से	iiअ	
			आ अन्य से	iiआ	
			इ योग (iiअ+iiआ)	iiइ	
		iii	कुल प्रतिभूत ऋण (काि+ii इ)	कiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निकष सहित)			
	त	विदेशी मुद्रा ऋण		काि	
	त्	रुपया ऋण			
			अ बैंकों से ऋण	iiअ	
			आ आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ	
			इ अन्य से	iiइ	
			ई कुल रुपया ऋण (ii+I+ii+II+ii इ)	iiई	
		iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)	खiii	
	ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)		2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व			3	
4	अग्रिम				
	i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से		i	
	ii	अन्य से		ii	
	iii	कुल अग्रिम (i+ii)		4iii	
5	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)			5	
आ	निधियों का उपयोजन				
निधियों का उपयोग	1	नियत आस्तियां			
		क	सकल :ब्लॉक	1क	
		ख	अवक्षयण	1ख	
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग	
		घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ	
		ङ	योग (1ग+1घ)	1ङ	
	2	विनिधान			
		क	दीर्घकालिक विनिधान		
			i	संपत्ति में विनिधान	i
			ii	साम्या लिखत	
			अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ
			आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ
			इ	योग	iiइ
		iii	अधिमानी शेयर		iii
		iv	सरकारी या न्यास संपत्तियां		iv
	v	डिबेंचर या बंधपत्र		v	
	vi	पारस्परिक निधियां		vi	
	vii	अन्य		vii	

		<b>viii</b> कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)			<b>कviii</b>	
	<b>ख</b>	अल्पकालिक विनिधान				
		<b>i</b> साम्या लिखत				
		अ सूचीबद्ध साम्या		iअ		
		आ असूचीबद्ध साम्या		iआ		
		इ योग		iइ		
		<b>ii</b> अधिमानी शेयर		ii		
		<b>iii</b> सरकारी या न्यास संपत्तियां		iii		
		<b>iv</b> डिबेंचर या बंधपत्र		iv		
		<b>v</b> पारस्परिक निधियां		v		
		<b>vi</b> अन्य		vi		
		<b>vii</b> कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii+iii+iv+v+vi)			<b>खvii</b>	
		<b>ग</b> कुल विनिधान (कviii+खvii)			<b>2ग</b>	
<b>3</b>		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	<b>क</b>	चालू आस्तियां				
		<b>i</b> सूचियां				
		अ कच्चा माल		iअ		
		आ प्रगतिगत स्टाक		iआ		
		इ तैयार माल		iइ		
		ई व्यापारगत स्टाक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)		iई		
		उ भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य		iउ		
		ऊ खुले अीजार		iऊ		
		ए अन्य		iए		
		ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)			<b>iऐ</b>	
		<b>ii</b> विविध देनदार				
		अ एक से वर्ग से अधिक के लिए बकाया		iiअ		
		आ अन्य		iiआ		
		<b>इ</b> कुल विविध लेनदार			<b>iiइ</b>	
		<b>iii</b> नकदी और बैंक अतिशे-न				
		अ बैंक में अतिशे-न		iiiअ		
		आ हाथ में नकदी		iiiआ		
		इ अन्य		iiiइ		
		ई कुल नकद और नकद समतुल्य (iiiअ+iiiआ+iइ)			<b>iiiई</b>	
		<b>iv</b> अन्य चालू आस्तियां			<b>कiv</b>	
		<b>v</b> कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)			<b>कv</b>	
	<b>ख</b>	ऋण और अग्रिम				
		<b>i</b> नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम		खi		
		<b>ii</b> निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य		खii		
		<b>iii</b> राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशे-न		खiii		
		<b>iv</b> योग (खi + खii + खiii)			<b>खiv</b>	
		<b>v</b> खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं				
		क कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए		vक		
		ख कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं		vख		
		<b>ग</b> योग (कv+खiv)			<b>3ग</b>	
	<b>घ</b>	विद्यमान दायित्व और उपबंध				
		<b>i</b> विद्यमान दायित्व				
		अ विविध लेनदार				
		1 एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया		1		
		2 अन्य		2		
		3 योग (1+ 2)		अ3		
		आ षट्पाधृत आस्तियों के लिए दायित्व		iआ		
		इ ऋण पर प्रोद्भूत व्याज और शोध		iइ		
		ई ऋण पर प्रोद्भूत व्याज किन्तु शोध नहीं		iई		
		उ अग्रिम में प्राप्त आय		iउ		
		ऊ अन्य संदेय		iऊ		

			ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	ए		
			ii	उपबंध			
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
			आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्तिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
			इ	अन्य उपबंध	ii इ		
			ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई		
			iii	योग (iउ+ iiई)	चiii		
			ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-चiii)	3ड		
			4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
				ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
	ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-न	4ग				
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ				
5		निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)	5				
लेखा न होने की दशा	ग		उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारबार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
		1	विविध देनदारों की कुल रकम	ग1			
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम	ग2			
		3	व्यवसायगत स्टाक की कुल रकम	ग3			
		4	नकद अतिशे-न की रकम	ग4			

भाग अ-विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

			1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन		
			क	आरंभिक सूची		
			i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टाक	i	
			ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टाक	ii	
			iii	योग (i + ii)	कiii	
			ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)	ख	
			ग	प्रत्यक्ष मजदूरी	ग	
			घ	प्रत्यक्ष व्यय(घi + घii + घiii)	घ	
			i	आवक वहन व्यय	i	
			ii	बिजली और ईंधन	ii	
iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii				
ड.	कारखाना अधिव्यय					
i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i				
ii	कारखाना किराया और दर	ii				
iii	कारखाना बीमा	iii				
iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv				
v	कारखाना साधारण व्यय	v				
vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi				
vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii				
च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)	च				
2	अंत स्टाक					
i	कच्ची सामग्री	2i				
ii	प्रगति रत कार्य	2ii				
	योग (2i + 2ii)	2				
3	उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)	3				

भाग अ- व्यापार लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व		
	क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)		
	i	माल का विक्रय	i	
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii	

	iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		iii क		
		ख		iii ख		
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv योग (i + ii + iii ग)			कiv	
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख	
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	वैट/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii			
	ix योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गix		
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5		
6	व्यापार लेखा में जमा का योग (4घ + 5iv)			6		
7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक			7		
8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)			8		
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
	i	आवक वहन व्यय	i			
	ii	बिजली और ईंधन	ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii			
10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा शुल्क	10i			
	ii	प्रति शुल्क	10ii			
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
	v	सेवा कर	10v			
	vi	वैट/विक्रय कर	10vi			
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
	xii योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii		
11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित			11		
12	कारवार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित			12		

व्यापार लेखा से विकलन

भाग अ-लाभ और हानि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा की जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ			13	
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमीशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	व्याज आय	iv		
	v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			



	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	vi			
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
	x	कृषि-आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		xi	क	
		ख		xi	ख	
		ग	योग (xi)क + xi)ख)	xi	ग	
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xiग)				14xii
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)				15
	16	जावक भाड़ा व्यय				16
17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग				17	
18	विजली और ईंधन				18	
19	किराया				19	
20	भवन की मरम्मत				20	
21	मशीनरी की मरम्मत				21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वितन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	सान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	सान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर ( 22i का 22x योग)			22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii)क	हां / नहीं		
		यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xii)ख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii			
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग I (i + ii)			31iii	

लाभ और हानि लेखा से विकलन

32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, भोजन तथा आवास				33
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				34
35	विदेश यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	संदान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	बेट/विक्रय कर	44iii		
	iv	उप कर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	एसटीडी और सीटीडी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	कर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				46
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			47iii
48	अशोध्य ऋण ( उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)				
	i(1)		48i(1)		
	i(2)		48i(2)		
	i(3)		48i(3)		
		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii)			48iv
49	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				49
50	अन्य उपबंध				50
51	ब्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]				51
52	ब्याज				
	i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)			52iii

कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण	53		
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)	54		
	55	चालू कर के लिए उपबंध	55		
	56	आस्थगित कर का प्रावधान	56		
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)	57		
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	58		
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)	59		
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित	60		
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)	61		
	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
	उपधाराणात्मक आय मामले	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
(i)		सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (iक + iख)			
क		निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक		
ख		किसी अन्य ढंग से	iख		
(ii)		धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक+ iiख)			
क		62iक का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक		
ख		62iख का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख		
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
63		धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
क्रम सं.		कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
(i)		सकल प्राप्तियां			
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)				
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना				
क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
(i)	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/ पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम , जो भी अधिक हो
(क)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख)					
कुल					
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक )					
(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [ सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]			64(ii)	
(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक			64(iii)	
(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)			64(iv)	
टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।					
लेखापरीक्षा मामला	65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें			
	(i)	कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए			

	a	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iक		65i
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
	ख	सकल लाभ	iख		
	ग	व्यय	iग		
	घ	शुद्ध लाभ			
	(ii)	वृत्तिरत निर्धारिती के लिए			
	क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iiक		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
ख	सकल लाभ	iiख			
ग	व्यय	iiग			
घ	शुद्ध लाभ				
(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii	
66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i
	ii	सकल लाभ			66ii
	iii	व्यय, यदि कोई हो			66iii
	iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व बर्न में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]	3ख
	4	पूर्व बर्न में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4 ङ
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदे हैं	5क	
ख	प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
ग	पूर्वबर्न के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकलित रकम		
क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की वावत संदत ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	

ड	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ड	
च	किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
ट	किसी भवि-य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
ड	डूबंत और शंकारपद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ड	
ड	डूबंत और शंकारपद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ड	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ड	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार से आय में शामिल नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि	6थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध	
न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6 न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भवि-य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
ड	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ड	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिगिद्ध है	7छ	
ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क) (i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क) (i) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क)(i) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ड	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अड	
च	धनकर के रूप में संदत रकम [40(क)(ii क)]	अच	
छ	राजरव, अनुज्ञति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत रकम	अछ	
ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)	8अञ	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		

	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या वीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ		
	ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ		
	च	कोई अन्य अनुज्ञेय	9 च		
	छ	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)			9 छ
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ती के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाणीकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घ क		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)			10ज
11	पूर्व वर्ती के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाणीकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11 घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)			11ज
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		

	ग	मूल्य बधित कर/विक्रय कर	12ग	
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज	कोई अन्य कर	12ज	
	झ	धकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ	
13		धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें	13	
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम	14	
15		लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	
16		धारा 14क के अधीन अनुनुजेय व्यय	16	
17		क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

भाग क-परिणात्मक ब्यौरे		परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)	
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3
	4	बंद स्टाक	4
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्ची सामग्री	
	क	आरंभिक स्टाक	6क
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6ख
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6ग
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6घ
	ङ	बंद स्टाक	6ङ
	च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद	
	क	आरंभिक स्टाक	7क
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7ख
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग
घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	बंद स्टाक	7ङ	
च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

### विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

#### अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)			
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %			
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
		I			
		II			
		[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	किराएदार का नाम )यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)

<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	I																														
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में	II																														
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया																															
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य																				1क										
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										1ख																				
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर										1ग																				
घ	योग (1ख + 1ग)										1घ																				
ङ	वार्निक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है																				1ङ										
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्निक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)																				1च										
छ	1च का 30%										1छ																				
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज										1ज																				
झ	योग (1छ + 2ज)										1झ																				
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%																				1ञ										
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ज)																				1ट										
2	संपत्ति 2 का पता										नगर/ शहर										राज्य			पिन कोड / ज़िप कोड							
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)																															
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता % <input type="text"/>																															
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम										सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार संख्या										संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)											
I																															
II																															
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>					किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)					किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)					किराएदार(रों) का पैन/ टैन्/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)																
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो					I																										
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में					II																										
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया																															
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्- के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्- के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)																				2क										
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										2ख																				
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर										2ग																				
घ	योग (2ख + 2ग)										2घ																				
ङ	वार्निक मूल्य (2क – 2घ)																				2ङ										
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्निक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)																				2च										
छ	1च का 30%										2छ																				
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज										2ज																				
झ	योग (2छ + 2ज)										2झ																				
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%																				2ञ										
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ज)																				2ट										
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*																				3										
4	“ गृह संपत्ति से आय ” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें )																				4										
<b>टिप्पण</b>					यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन् प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।																										

**अनुसूची – कारबार या वृत्ति** कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति																			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv)										1									
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि /लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv ]										2क									
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक बिन्ह प्रवि-ट करें)										2ख									

कारबार या वृत्ति से आय



3	115 खख के अधीन प्रभार्य या 115 खख के अधीन प्रभार्य या आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति	3क	
		ख	गृजी अभिलाभ	3ख	
		ग	अन्य स्रोत	3ग	
		गि	लाभांश आय	3गि	
		गii	लाभांश आय के अलावा	3गii	
		घ	धारा 115खख	3घ	
		ड	धारा 115खख	3ड	
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कचक/ 44कड़/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)			4क	
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ			4ख	
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)			4ग	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	(क)	फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क		
	(ख)	एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख		
	(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय ( प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		i	ग i		
		ii	ग ii		
		iii	योग ( ग i + गii)	5ग iii	
(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)			5घ	

6	बकाया (1-2क-2ख-3क-3ख-3ग-3ङ-4क-4ख-4ग-5घ)				6
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य/ आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	मूजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखच	7घ	
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क	
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख	
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8क + 8ख)			9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण				11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)			12i	
	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)			12ii	
	कुल (12i + 12ii)				12ii i
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)				13
14	धारा 36 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6S)	14			
15	धारा 37 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)	15			
16	धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)	16			
17	धारा 40क के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9छ)	17			
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय हैं (भाग क -णझ का 11ज)	18			
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुनुज्ञेय व्याज	19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21			
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22			
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23			
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारती भागीदार हैं)	24			
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)	25			
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27			
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28			
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है ( अनुसूची उधद की मद x(4) ( यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29			
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)	30			
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10ज)	31			
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32			
33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	33			
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)				34
35	आय (13+26-34)				35
36	निम्नलिखित के अधीन कारवार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -				
	i धारा 44कघ [ अनुसूची का 62(ii)]	36i			
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii			
	iii धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	36iii			
	iv धारा 44ख	36iv			

	v	धारा 44खख	36v		
	vi	धारा 44खखक	36vi		
	vii	धारा 44घक	36vii		
	viii	धारा 44घख	36viii		(प्राकृत्य 3गड की मद 4)
	ix	कुल (36i to 36viii)			36viii
37		सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36viii)			37
38		नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें (यदि हानि है तो 2i की मद को ङ में ले जाएं) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)			क 38
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ङ		
	च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय	38च		
39.		वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ.)]			39
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			40
	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			41
	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			42
	43	सट्टेबाजी के कारबार से आय (40+41-42) (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)			आ43
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			44
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			45
	46	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतिया ( धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है			46
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44+45-46)			47
	48	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)			48
	49	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (47-48) (हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएं)			इ49
	50	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए)			इ50
घ		Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)	D		घ
		'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ख43+ग49)			
ङ		चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष			
	क्र.सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या नकारात्मक हो)		(क 38)	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)		
	iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)			
	vi	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शे-1 हानि (i - v)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)

3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (सूत्र 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात मूल्यहास,				
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (सूत्र 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

**अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
				(i)	(ii)	(iii)			
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन						
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन						
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	कुल अवक्षयण। (10+11)						
13	आयकर अधिनियम (सर्तब 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,						
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)						
15	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (सर्तब 14 में से) की स्थिति में अननुज्ञात श्रानुपातिक कुल मूल्यहास						
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 501 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

**अनुसूची - डीईपी** आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
		क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क		
		ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख		
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग		
		घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वतंत्र अधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
		ङ संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1 ङ	
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क		

ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग		
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड+2घ+3+4+5)			6

## अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)			1ड
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड+ 2घ + 3 + 4 + 5 )			6

## अनुसूची इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35 गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			

**टिप्पण** ▶ यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(ii क) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें।

अनुसूची-पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम

अल्प कालित पूँजी अभिलाम

अल्प कालिक पूँजी अभिलाम

क		अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)					
1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)					
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का				
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii				
	iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii				
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
ग	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
	iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv				
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v				
ग		तुलन काiii - ख v)				1 ग	
घ		धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )				1 घ	
ङ		स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)				क 1 ङ	
च		स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)					
क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड	पिन कोड	
टिप्पण		यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।					
2		रत्न विक्री से					
क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का				
	ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii				
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2काiii				
ख		वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख	
ग		रत्न की विक्री से अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (2काiii - 2ख)				क 2 ग	
3		इंक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इंक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है					
क		प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क	
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
ग	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii				
	iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
	v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
ग		शेन (3 क - ख v)				3 ग	
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )				3 घ	
ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)				क 3 ङ	
4		अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)					
क		संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है				क 4 क	

		ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है	क 4 ख
5			अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उपर ए 3 से भिन्न)	
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।	
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग	पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	kii
		iii	कुल (i ग + ii)	kiii
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां	
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v
	ग		शे-न (5 क iii - ख v)	5 ग
	घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	5 घ
	ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)	क 5 ङ
6			पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से	
	क	I	विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।	
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	kii
		iii	कुल (i ग + ii)	kiii
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां	
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v
	ग		शे-न (6 क iii - ख v)	6 ग
	घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	6 घ





			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ							
			i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i						
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii						
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii						
			iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv						
				योग ( ख i + ख ii + ख iii + ख iv )	ख v						
			ग	शे-1 ( क iii - ख v )				1 ग			
			घ	धारा 54 घ / 54 ङग / 54 छ / 54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )				1 घ			
			ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				ख 1 ङ			
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
				क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य
			टिप्पण ▶	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।							
			2	स्लम्य विक्री से							
				क	i	नियम 1।प.क.ङ(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2क।				
					ii	नियम 1।प.क.ङ(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii				
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii							
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य		2ख							
	ग	शे-1 (2कiii - 2 ख)		2ग							
	घ	धारा 54ङग के अधीन कटौती		2घ							
	ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)									
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3क					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i							
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii							
		iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv							
	ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)				ख 3ग					
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से										

			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
				iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv			
			ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)				ख 4 ग	
			5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंनुम्बु निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से					
				उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची 112 क के कॉलम 14 )				ख5घ	
			6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)					
				इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी				ख6	
			7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)( ग ), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से					
			क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।				



सं.	जिसमें सम्मिलित किया गया है	नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करे	हां/नहीं	(8)	(9)	(10)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
I										
II										
क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि						ख12क			
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि						ख12ख			
13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क)						ख13			
ग	“पूँजी अभिलाम” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)						ग			
घ	पूँजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावों के बारे में सूचना									
1	धारा 54घ / धारा 54ङ/धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।									
क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष							
ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत	क ii								
iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv								
v	कम किए गए दावों की रकम	क v								
ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष							
ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ख ii								
iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	कम किए गए दावों की रकम	ख iv								
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष							
ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii								
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv								
v	कम किए गए दावों की रकम	ग v								
घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा									
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष							
ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घ ii								
iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घ iv								
v	कम किए गए दावों की रकम	घ v								
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)						1 ड			
ड	पूँजी अभिलाम चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाम के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्र. सं.	पूँजी अभिलाम का प्रकार	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाम (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाम हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाम 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%	डीटीए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7ग*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6*+ आ7ड*+ आ10+)	आ12ख	



अनुसूची-112क किसी कंपनी या इक्विटी ओरएण्टेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।														
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री- मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर- 5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिण्टेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.201 8 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम )	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) - (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटीतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर -5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

**अनुसूची-अन्य स्रोत** अन्य स्रोतों से आय

1 सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	कां	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	कांii	
ख	व्याज, सकल (खां + खांii + खांiii + खांiv)	1ख	
i	बचत खाता से	खां	
ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खांii	
iii	आय कर प्रतिदाय से	खांiii	
iv	पास श्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खांiv	
v	अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घां + घांii + घांiii + घांiv + घांv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घां	
ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांii	
iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांiii	
iv	प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घांiv	
v	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घांv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
1			
2			
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)		2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खांv + खांvi)	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii	
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv	
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय ( गi से गxxiii का योग)	2 ग	
i	अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i	
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii	
iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii	
iv	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv	
v	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v	



vi	धारा 115A(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194घ में निर्दिष्ट व्याज	ग vi	
vii	धारा 194खक में निर्दिष्ट व्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	ग vii	
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य सारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii	
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix	
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x	
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	

xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त	ग xii	
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii	
xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv	
xv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट्स से स्वामिसत्व द्वारा आय	ग xv	
xvi	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvi	
xvii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	ग xvii	
xviii	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xviii	
xix	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xix	
xx	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx	

घ विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाए)

2घ

ङ क्रम 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)

2ङ

क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मनु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क, 2ख, 2ग एवं 2घ के अलावा)

क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा	3क
ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)	3ख
ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर व्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	3ग
गि	धारा 57(i) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि	3गि
घ	योग	3घ

4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम

4

5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ

5

6 अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीएए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/ में आंकड़े भरें)

6

7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)

7

8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय

क	प्राप्तियां	8क
ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ

क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय					
2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभान्श पर आय					
3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभान्श आय					
5	धारा 115क(1)(क)(iiकग) के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
6	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
8	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभान्श आय					

क्र.सं.	आय का स्रोत	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ग की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ग की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ग के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद ड का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लामू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				

चालू वर्ग हानि समाधान

x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8ड)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेन हानि (i - xvi)					

**अनुसूची-बीएफएलए** पूर्व वर्गों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ग की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेन बची चालू वर्ग की आय	
		1	2	3	4	5	
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)				
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)				
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)				
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)				
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)				
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)				
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)				
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)				
ix	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)				
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xii	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xiv)					
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)				
xv	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xvi)					
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि						
xvii	चालू वर्ग की मुजरे के पश्चात् शेन बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

अग्रनीत हानि समावोचन



			लिए समायोजित रकम का विकल्प					
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चातू निर्धारण वर्ग							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

<b>अनुसूची</b>		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
<b>आ.स.प्र.मा.</b>		
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

<b>अनुसूची-10कक</b>		धारा 10कक के अधीन कटौती	
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती		
	क्रम सं.	वचनबंध	निर्धारण वर्ग जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है
	क	वचनबंध सं0 1	क (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए
	ख	वचनबंध सं0 2	ख (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)	
		ड	

<b>अनुसूची 80छ</b>		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				

	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

#### अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं..	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

#### अनुसूची आर. अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौती)

ए	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					

#### अनुसूची-80-झ.क धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दि-ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग

#### अनुसूची-80-झ.ख धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

	और खनन आरंभ करता है [धारा80इख(9)]	ख2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
ग	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80इख(10)]	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिवर्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80इख(11क)]	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारवार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80इख(11क)]	ङ 1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
		ङ 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
च	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)			

**अनुसूची-80-इग या 80-इङ** धारा 80-इग या धारा 80इङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
			क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
			ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
			ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
	ध	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घक2	बचनबंध सं0 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घख2	बचनबंध सं0 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घग2	बचनबंध सं02 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घघ2	बचनबंध सं02 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घङ2	बचनबंध सं0. 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घच	नागालैंड	घच1	बचनबंध सं0. 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घच2	बचनबंध सं0. 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घछ2	बचनबंध सं0 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
घज			पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रम 1 के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)	घज		
ङ			धारा 80इग या धारा 80इङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)	ङ		

**अनुसूची 80त** धारा 80त के अधीन कटौतियां

		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहित निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संचयी सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य			

	सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ड) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

## अनुसूची -6क

अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ	ख	80छछख		
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)					1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक	( अनुसूची 80- टक का च )	ड	80-झकख	
	च	80-झकग		छ	80-झख	(अनुसूची 80- झख का ड )
	ज	80-झखक		झ	80झग/80झड	(अनुसूची 80 झग/80झड का ड)
	ज	80जक		ट	80जकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलघक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II
	ठ	80टक(1)	प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9	ड	80टक(1क)	(प्रपत्र 10गगच के अनुबंध का9)
ण	80त					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)					2	
3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 + 2)				3	

## अनुसूची- एएमटी

धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय	1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन		
	ड			
	80 झकख			
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क	
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख	
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अबहाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35क के अधीन कटौती का दावा	2ग	
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ	
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)	3	
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क	
ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख		
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3 ख) का 18.5 % या (3 क) का 9 %] (ए.ओ.पी, वी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)	4		

## अनुसूची एएमटीसी

धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का1घ)	1			
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)	2			
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [ (2-1 प्रविट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]	3			
4	उपलब्ध एएमटीसी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटीसी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटीसी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती				
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटीसी प्रत्यय (ख)		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटीसी (ग)	अग्रणीत अतिशेन एएमटीसी जमा (घ) = (ख3) -(ग)
		सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेन (ख3)=(ख1)-(ख2)	
I	2011-12				



	ii	2012-13					
	iii	2013-14					
	iv	2014-15					
	v	2015-16					
	vi	2016-17					
	vii	2017-18					
	viii	2018-19					
	ix	2019-20					
	x	2020-21					
	xi	2021-22					
	xii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविट करें)					
	xiii	योग					
5	धारा 115कघ के अधीन जमा कर की रकम [ (मद सं. 4ग के अनुसार)]					5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [ मद सं. 4घ प्रविट करें]					6	

**अनुसूची एसआई** विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक(शेयर/इन्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है )	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) ( गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ ( प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की विक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का 5lx)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
12क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग ix)	
12ख	115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xxiii)	
13	115 खख (लॉटरी, बग पहेसी, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
14	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
15	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)	
16	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 7ख)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2गxvi)	
17	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2गviii)	
18	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्त्रोतों से आय प्रभाय है	☐		(अनुसूची ओएस के 2ड का भाग)	
19	15% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	15	(अनुसूची ओएस के 5vi का भाग)	
20	30% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	30	(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)	
21	10% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	10	(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)	
22	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
23	20% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	20	(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)	
24	विशेष दये पर प्रभाय अन्य स्त्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
25	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभाय होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ओएस के 2ग का भाग)	
			योग		

**अनुसूची आई एफ** भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म का धारा 92 लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है	फर्म में 31 मार्च का पूंजी बकाया
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय**

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

क्र.सं	व्याज से आय	1
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii
	iii पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii
	iv वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि) यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें (	2
	v वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)	
	क पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।	
	ख एकड़ में कृषि भूमिक का मापन	
	ग क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)	
	घ क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)	
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	3
	क धारा 10(23चख) अथवा 10(23चगक) या 10(23चगक) या 10(23चड) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क
	ख कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें	3ख
4	डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं आय	
	क्र.सं आय की रकम आय की प्रकृति देश का नाम और कोड डीटीएए का अनुच्छेद आय की शीर्ष क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
	I	
	II	
	III कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय	4
5	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)	5
6	योग (1+2+3+4+5)	6

**अनुसूची पीटीआई**

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्र.सं	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्र.सं	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूंजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	धारा 112क के				

							अलावा अन्य						
							iii अन्य ख़ोत						
							क लाभांश						
							ख अन्य						
							iv दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
							क धारा 10(23चखख) के अधीन						
							ख धारा.....के अधीन						
							ग धारा.....के अधीन						
2.							i गृह संपत्ति						
							ii पूंजी अभिलाभ						
							क अल्पकालिक अवधि						
							का धारा 111क						
							काii अन्य						
							ख दीर्घकालिक अवधि						
							खा धारा 112क						
							खाii धारा 112क के अलावा अन्य						
							iii अन्य ख़ोत						
							क लाभांश						
							ख अन्य						
							iv दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
							क धारा 10(23चखख) के अधीन						
							ख धारा.....के अधीन						
							ग धारा.....के अधीन						

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण							
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)							
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा						
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार						
	3	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर						
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)						
	4	भुगतान किए गए कर							
	5	निवल देय कर (2घ-3)							
	6	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)	
	7	बैंक और शाखा का नाम							
	8	वीएसआर कोड							
9	चालान की क्रम संख्या								
10	जमा की गई राशि								

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर से आय और कर राहत	क्र. सं	देश कोड	कर संचायकता पहचान संख्या	क्र. सं	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तड में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)





(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>छ</b> भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

**टिप्पण**

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। वृषटि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

**अनुसूची जीएसटी**

जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्त के संबंध में जानकारी

क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

**टिप्पण**

कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् जानकारी दें।

**भाग - ख****भाग ख-कुल आय****कुल आय की संगणना**

क्र. सं०	विवरण	क्र. सं०	विवरण
1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)	1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाम		
	i सट्टेबाजी और विनिर्दि-ट करबार के कारबार और विनिर्दि-ट करबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)	2i	
	ii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(ii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii	
	iii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii	
	iv विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3घ और 3ङ)	2iv	
	vi योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रवि-टि में ले जाएं)	2v	
3	पूंजी अभिलाम		
	क अल्प कालिक		
	i 15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)	कi	
	ii 30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)	कii	
	iii लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)	कiii	
	iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	कiv	
	v कुल अल्प कालिक ( कi + कii + कiii + कiv) (यदि हानि हो तों कुछ नहीं प्रवि-टि करें)	3कv	
	ख दीर्घ कालिक		
	i 10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खi	
	ii 20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii	
	iii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii	
	iv कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख iv	

	ग	कुल पूंजी अभिलाम (3 क+3 खiv) (यदि हानि हो तो शुन्य करें)		3c
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क	
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभाय्य आय (अनुसूची ओएस का 2 करें)	4 ख	
	ग	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुसंधान क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग	
	घ	योग (4 क+4 ख+4 ग)		4 घ
5	मदवार आय का योग (1+2v+3 ग+4 घ)			5
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ग की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)			6
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5-6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग+4ख+2iv)			7
8	7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)			8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग+4ख+2iv)			9
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभाय्य आय			10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]		11ख
	ग	कुल (11क+11ख) (9-10) तक सीमित		11ग
12	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)			12
13	कुल आय (9-11ग-12)			13
14	विशेष दरों पर कर से प्रभाय्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)			14
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)			15
16	कुल आय (13-14+15)/यदि (13-14) प्रभाय्य कर की प्रभाय्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा			16
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ग की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xvi का योग)			17
18	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)			18

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना			
कर दायित्व की संगणना	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)		1क	
	ख	पूर्वोक्त (क)पर अधिभार (यदि लागू है)		1ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर		1ग	
	घ	मानी गई आय (1क+1ख+1ग) पर कुल संदेय कर		1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख		
	ग	कृषि आय पर छूट/भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभाय्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग		
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख+2ग)		2घ	
	ङ	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2ङ
	i	अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ङ i	iक	
	ii	10% या 15% या 20%, 1, 7, 9, 21, 23 के अनुसार लागू, लाभांश आय अनुसूची एस.आई धारा 115कघ (1)(क) के तहत, तथा भाग-ख- टी.आई में शामिल लाभांश आय	2ङ ii	iiक	
	iii	अनुसूची एस.आई [(2घ) - [(12(ii)+1(ii)+2(ii), 7(ii), 9(ii), 21(ii), 24(ii)]पर	2ङ iii		
	iii	कुल (iक+iि+iii)			2ङ iii
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2ङiii			2च
छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ+2ङiv+2च)			2छ	
3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)			3	
4	पूर्व वर्गों में संदेय कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)			4	
5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3-4)			5	
6	कर राहत				
क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क			
ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख			
ग	योग (6क+6ख)			6ग	

7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7			
8	व्याज और देय फीस				
	क विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क			
	ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ङ कुल व्याज और देय फीस (8क+8ख+8ग+8घ)	8ङ			
9	कुल दायित्व (7 + 8 ङ)	9			
10	संदत कर				
	क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से )	10क			
	ख स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख			
	ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग			
	घ स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से )	10घ			
	ङ कुल संदत कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ङ			
11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ङ से अधिक हैं तो प्रविट करें, अन्यथा 0 प्रविट करें)	11			
12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा	12			
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)	हां या नहीं का चयन करें		
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)			
		क्रम सं. बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम		
		खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं। एक खाता पर निशान लगाएं।		
	i				
	ii				
	नोट: 1) रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर. 2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए <b>2) Minimum one account should be selected for refund credit</b>				
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
	ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		

## 15 अनुसूची-आयकर

क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे							
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)			
	i							
	ii							
	iii							
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]							
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य	अन्य व्यक्ति का पैना/आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य	कटौतीकर्ता का पैना/किराएदार/क्रेता का पैना/आधार संख्या	अग्रपिप्त अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/आहरण	अग्रपिप्त टीडीएस क्रेडिट



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)	
									वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रणी टीडीएस	स्वयं कटौती				नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती (यदि लागू हो)
							आय	टी.डी.एस		आय	टी.डी.एस	पैन/ आधार संख्या			
i															

टिप्पण भाग ख ननख के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का व्यौरा [ संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार ]												
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणी स्रोत पर कटौती किया गया कर		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष (5) या (6) की राशि का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए इसी रसीद की पेशकश की जा रही है)	(5) या (6) की राशि में से अग्रणी रकम						
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/च									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
i													
ii													

टिप्पण कृपया भाग ग - टैटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

#### सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री .....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी ..... (ड्राफ्ट डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ । मैं एक स्थाई खाता संख्या ..... धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)